पत्रांक–9A / विविध मार्गदर्शन 07–10 / 2024–213 (9A) / रा0.

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

सी0 के0 अनिल,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

ई–मेल / निबंधित

सभी अंचल अधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–22/01/2026

विषय :– वरीय राजस्व न्यायालयों के आदेशों की अंचल अधिकारियों द्वारा अवहेलना एवं विलम्ब को रोकने के संबंध में निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सात निश्चय–3 (2025–30) दिनांक–16.12.2025 से ही राज्य में लागू कर दिया है। इसके सातवें स्तम्भ में Ease of Living में यह सम्मिलित है कि बिहार के सभी नागरिकों को सुलभ ढंग से त्वरित न्याय पारदर्शिता के साथ बिना अनावश्यक विलम्ब के मिले।

2. माननीय मुख्यमंत्री के समृद्धि यात्रा–2026 एवं माननीय उप मुख्यमंत्री के जन कल्याण संवाद, 2025 में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य के अंचल अधिकारी अकसर अपर समाहर्त्ता / भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के अर्द्ध–न्यायिक राजस्व आदेशों को जानबूझकर विलंबित करके आदेश को निष्प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं।

3. अंचल अधिकारी का न्यायालय प्रथम (Primary) राजस्व न्यायालय के रूप में कार्यरत है एवं उनमें पदेन विभिन्न नियमों / अधिनियमों द्वारा न्यायालय की शक्तियाँ निहित की गई है। (उदाहरण स्वरूप मई, 1974 से उन्हें बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत समाहर्त्ता घोषित किया गया है।)

(ख) परन्तु यह कि अंचल अधिकारी के राजस्व न्यायालय के अपीलीय प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता (DCLR) को सभी अर्द्ध–न्यायिक कार्यों के लिए बनाया गया है।

(ग) परन्तु यह कि इसके अतिरिक्त जमाबंदी रद्दीकरण हेतु प्रस्ताव की सुनवाई मात्र प्रारंभिक अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में ही निहित है।

(घ) परन्तु यह कि समाहर्त्ता ही संपूर्ण राजस्व न्यायालय प्रशासन के सर्वोच्च न्यायालय जिला स्तर पर स्थापित है एवं समाहर्त्ता के सभी न्यायिक आदेश निचले अदालतों के लिए बाध्यकारी एवं अंतिम (Final) है। यद्यपि संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप माननीय उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद–141) एवं पटना उच्च न्यायालय (अनुच्छेद–226 / 227) के अन्तर्गत पारित आदेश राजस्व न्यायालयों के पथ प्रदर्शक (Binding Precedent) होंगे।

(ङ.) प्रमण्डलीय आयुक्त राजस्व न्यायालय के अपने प्रमण्डलीय क्षेत्र (Divisional Jurisdiction) में समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश के अपीलीय प्राधिकार घोषित है। आयुक्त राजस्व न्यायालयों के आदेशों का अनुश्रवण करके अनुपालन सुनिश्चित कराऐंगे ताकि राज्य में वरीय राजस्व न्यायालयों की गरिमा (Majesty) बरकरार रहें। राजस्व न्यायालय का सोपान (Hierarchy) नीचे दर्शाया जा रहा है।

4. अंचल अधिकारी किसी भी वरीय न्यायालय के आदेश पारित होने के पश्चात RCMS Portal में प्रदर्शित होने पर उक्त आदेश का नियमानुसार अनुपालन 07 (सात) दिनों के अन्दर

https://d.docs.live.net/36345663AD39B1DE/Documents/Letter_2026_1_1.docx

करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश के अनुपालन में सरकारी भूमि/सरकार का हित यदि सन्निहित हो तो उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना अनिवार्य होगा। उक्त निदेश का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित अंचल अधिकारी को पूर्णतः जवाबदेह माना जाएगा एवं इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

(ख) अंचल में सरकारी भूमि के संरक्षण एवं सुरक्षा का पूर्ण दायित्व अंचल अधिकारी पर रहेगी। यदि सरकारी भूमि (जैसा कि पूर्व के परिपत्रों में परिभाषित है) के संबंध में जिला समाहर्त्ता से अलग किसी निम्न राजस्व न्यायालय का आदेश पर बिना समाहर्त्ता के पूर्वानुमति के राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि नहीं करेंगे।

5. अंचल अधिकारियों का ऐसा कृत्य न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन है। संवैधानिक शासन व्यवस्था (Rule of law-Article 14) एवं राजस्व न्यायिक व्यवस्था के प्रतिकूल है।

6. अंचल अधिकारी जैसे कार्यपालक–न्यायिक पदाधिकारी द्वारा ऐसी अवज्ञा एवं अवहेलना गंभीर प्रशासनिक कदाचार माना जायेगा एवं अनुशासनहीनता के आरोप में विभागीय कार्यवाही के भागी होगें।

7. अतः अंचल अधिकारी, अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अन्य उच्चतर राजस्व न्यायालयों के आदेश का पूर्ण अनुपालन कंडिका–4 के आलोक में करना सुनिश्चित करेंगे।

(ख) वरीय न्यायिक आदेश के अनुपालन की प्रमाणिक प्रतिवेदन सक्षम पदाधिकारी (समाहर्त्ता) को RCMS Portal के अनुसार भेजेंगे।

(ग) आदेश के अनुसार राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि करेंगे।

8. राजस्व मामलों की अपीलीय प्रक्रिया –

विषय	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
(क) भू–मापी	अंचल अधिकारी	→ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता	
(ख) दाखिल–खारिज	अंचल अधिकारी	→ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता	→ अपर समाहर्त्ता
(ग) जमाबंदी रद्दीकरण	अपर समाहर्त्ता	→ समाहर्त्ता	→ प्रमंडलीय आयुक्त
(घ) भूमि विवाद निराकरण	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता	→ प्रमंडलीय आयुक्त	

विश्वासभाजन,
22/01/2026
(सी0 के0 अनिल),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–9A/विविध मार्गदर्शन 07–10/2024– 213 (9A)/रा0, पटना–15, दिनांक– 22/01/2026

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

22.01.2026

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव।

ई–मेल/
निबंधित

ज्ञापांक–9A/विविध मार्गदर्शन 07–10/2024– 213 (9A)/रा0, पटना–15, दिनांक– 22/01/2026

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/सभी अपर समाहर्त्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.01.2026

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–9A/विविध मार्गदर्शन 07–10/2024– 213 (9A)/रा0, पटना–15, दिनांक– 22/01/2026

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.01.2026

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव।